तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **जयसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 552/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-11-2022	अपीलार्थी जयसिंह राठौड़, पता 16, अशोक वाटिका वाडरबास, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.09.2022 में (1) माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा वर्ष 2022 में जोधपुर जिले में ग्रामों में सड़क निर्माण/रखरखव हेतु घोषणा की गई उसकी सूची व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1897दिनांक 04.11.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथना पत्र के सन्दर्भ में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1668 दिनांक 27.09.22 द्वारा सूचित किया गया कि जिला कलक्टर जोधपुर कीक मूल आईडी पर दिनांक 18.09.2020 का ई–मेल प्राप्त नहीं हुआ है तथा शेष बिन्दुओं की सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जिला परिषद जोधपुर से संबंधित है जिसका अंतकरण किया जाना संभव नहीं है, चूंकि अंतरण मात्र एक स्तर पर ही किया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग, राज. जयपुर के परिपत्र दिनांक 12.07.2012 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार संबंधित विभाग के सूचना मांगने हेतु उनके कार्यालय में पृथक पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को द्वारा चाही गई सूचना बाबत् वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है अतः इनके कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	